

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-48/2017/2561/चि0-3-17-टी-1(68)/2017
लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 राजेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी (वरि0 क्र0-11779, लेवल-3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर, जौनपुर को उप जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जौनपुर के रिक्त पद पर मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर के अधीन एतद्वारा समायोजित किया जाता है।

2- डा0 राजेन्द्र कुमार सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराये।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-48/2017/2561(1)/चि0-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर)।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी0-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-49/2017/3152/चि0-3-17-टी0-1(51)/2017
लखनऊ : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2374/चि0-3-17-टी0-1(51)/2017, दिनांक 12-08-17 (क्रमांक-43) पर अंकित डा0 कृष्ण कान्त, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11111, लेवल-3), जिला पुरुष चिकित्सालय, बहराइच का जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-08-2017 इस सीमा तक संशोधित पढा/समझा जाय।

नरेंद्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या-49/2017/3152(1)/चि0-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, बहराइच/जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच/श्रावस्ती।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, बहराइच/जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-50/2017/3153/चि0-3-17-टी0-1(51)/2017
लखनऊ : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2374/चि0-3-17-टी0-1(51)/2017, दिनांक 12-08-17 (क्रमांक-57) पर अंकित डा0 गणेश कुमार गौरव, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11636ख, ले0-3), जिला पुरुष चिकित्सालय, गोरखपुर का जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-08-2017 इस सीमा तक संशोधित पढा/समझा जाय।

नर्वद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-50/2017/3153(1)/चि0-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा .स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/बस्ती मण्डल, बस्ती।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, गोरखपुर/जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/संतकबीरनगर।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, गोरखपुर/जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-51/2017/3154/चि0-3-17-टी0-1(51)/2017
लखनऊ : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2374/चि0-3-17-टी0-1(51)/2017, दिनांक 12-08-17 (क्रमांक-44) द्वारा डा0 नरेन्द्र कुमार, नेत्ररोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11521ख लेवल-3), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ का जनहित में अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड किये गये स्थानान्तरण को सम्यक् विचारोपरान्त संशोधित करते हुये उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-08-2017 इस सीमा तक संशोधित पढा/समझा जाय।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-51/2017/3154(1)/चि0-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ/सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ/हापुड/मुजफ्फरनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ/हापुड/मुजफ्फरनगर।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ/हापुड ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।